भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4051

सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947, (शक)

चार श्रम संहिताएँ

4051. सुश्री महुआ मोइत्रा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि पहले से मौजूद 29 कानूनों को चार श्रम संहिताओं-मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाओं के साथ-साथ औद्योगिक संबंधी संहिताओं में विलय करने के बावजूद, उक्त सुधारों में अनौपचारिक क्षेत्रों में नियोजित अधिकांश भारतीय कामगारों को केवल मजदूरी संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता के कुछ हिस्सों के माध्यम से नाममात्र कवरेज प्रदान किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि निर्माण, कृषि, गृह-आधारित कार्य और संविदागत श्रम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र नई संहिताओं के अंतर्गत सुरक्षा, विनियमित कार्य घंटों, हड़ताल करने की स्वतंत्रता और गारंटीकृत न्यूनतम मजदूरी जैसे आवश्यक अधिकारों के दायरे से बाहर हैं;

(घ) नियमों को अधिसूचित करने से पूर्व मजदूर संघों, राज्य सरकारों और अनौपचारिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों से प्राप्त फीडबैक को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ड.) क्या सरकार का सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी, कामगारों की सुरक्षा, सामूहिक सौदेबाजी के लिए लागू करने योग्य अधिकार और औपचारिक क्षेत्र में सुरक्षा के तुल्य अनौपचारिक और गिग इकॉनोमी वाले सभी कामगारों के लिए हड़ताल करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए संशोधनों अथवा नए विधान के माध्यम से इन संहिताओं को संशोधित अथवा अनुपूरित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): सरकार ने चार श्रम संहिताएँ अर्थात वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2020 तैयार की हैं और इन्हें आम लोगों की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित भी किया गया है। "श्रम" विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है और श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी दिया गया है। इन चारों श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम के रूप में, केंद्र सरकार ने मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 34, 33, 33 और 33 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने क्रमशः वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 के अंतर्गत मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है।

जारी/2--

(ख) तथा (ग): श्रम संहिताएं सांविधिक न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कामगारों की स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में असंगठित कामगारों सहित कामगारों के लिए उपलब्ध सुरक्षा को सुदृढ़ बनाती है। वेतन संहिता, 2019 ने सतत विकास और समावेशी विकास का समर्थन करने के लिए सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन और वेतन के समय पर भुगतान के सांविधिक अधिकार को सार्वभौमिक बनाया है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 इन कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए भवन निर्माण कामगारों, ठेका मजदूरों आदि के लिए प्रावधान करती है। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का उद्देश्य संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। सामाजिक सुरक्षा के कवरेज को बढ़ाने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में शुरू किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं :

i. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का कवरेज अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों के अलावा पूरे भारत में विस्तारित किया गया है। इसके अलावा, 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर ईएसआईसी कवरेज शुरू किया गया है। इसके अलावा, ईएसआईसी के अंतर्गत लाभ उन प्रतिष्ठानों पर भी लागू किए जा सकते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित खतरनाक या जीवन को जोखिम में डालने वाले व्यवसाय करते हैं तथा इनमें चाहे एक ही कर्मचारी कार्यरत हो।

ii. संहिता में असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण हेतु योजनाएं तैयार करने हेतु एक सामाजिक सुरक्षा निधि की परिकल्पना की गई है।

iii. केंद्र सरकार को ईएसआईसी या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ देने का अधिकार दिया गया है।

(घ) सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संघों को आमंत्रित करते हुए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत तैयार किए गए मसौदा नियमों पर चर्चा करने के लिए तीन त्रिपक्षीय बैठकें भी क्रमश: दिनांक 24 दिसंबर, 2020, 12 जनवरी, 2021 तथा 20 जनवरी, 2021 को बुलाई गई।

(ड.) उपर्युक्त श्रम संहिताओं में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****